LT-5033/73

(PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3(i) AS G.S.R. NO. 345 DATED 31.3.1973.)

Government of India
Ministry of Steel and Mines
Department of Mines

New Delhi, 13th March, 1973
22 Phalgun, 1894, Saka.

NOTIFICATION

G.S.R. No. 345. In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely, -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, -

(i) in rule 37,

(a) in sub-rule (1) after the present proviso, the following further proviso shall be added, namely, -

"Provided further that where the mortgagee is an institutions or a Bank or a Corporation specified in Schedule V, it shall not be necessary for the lessee to obtain any such consent of the State Government."

.........2/-

(b) in sub-rule (2) for the second proviso the following proviso shall be substituted, namely, -

"Provided further that where the mortgagee is an institutions or a Bank or a Corporation specified in Schedule IV, it shall not be necessary for any such institution or Bank or Corporation to hold a certificate of approval and an income-tax clearance certificate."

(ii) after Schedule IV, the following schedule shall be added, namely, -

"Schedule V
Institutions/Banks/Corporation
(See rule 37)

1. A Scheduled Bank as defined in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).
2. A Bank specified in column 2 of the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970)
3. A Finance Corporation owned and controlled by a State Government.
4. A State Industrial Development Corporation.
5. Unit Trust of India.
6. Industrial Finance Corporation of India.

........3/-

7. State Trading Corporation of India.

8. Industrial Credit and Investment Corporation of India.

9. Life Insurance Corporation of India.

10. Industrial Development Bank of India.

11. Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd., Calcutta.

12. State Industrial Investment Corporation of Maharashtra.

No. 1/6/71-MVI

Sd/-
(HARSHA GUPTA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The Manager,
Government of India Press,
New Delhi.

LT-5033/73

(भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3(1) में दिनांक 31 मार्च, 1973 को प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1973

22 फाल्गुन, 1894 (शक)

अधिसूचना

सा0 का0 नि0 345 - खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है , अर्थात् :-

1- (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1973 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2- खनिज रियायत नियम, 1960 में -

(1) नियम 37 में,

(क) उप नियम (1) के वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि जब बन्धकदार अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संस्था या बैंक या निगम हो तब पट्टेदार के लिए राज्य सरकार की ऐसी कोई सम्मति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा ।

-----2/-

(ख) उप-नियम (2) में द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि जब बन्धकदार अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संस्था या बैंक या निगम हो तब ऐसी किसी संस्था या बैंक या निगम के लिए अनुमोदन प्रमाण-पत्र और आयकर शोधन पत्र धारित करना आवश्यक नहीं होगा ।" ;

(ii) अनुसूची IV के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तः स्थापित की जाएगी ; अर्थात् :-

"अनुसूची V

संस्थाएं/बैंक/निगम

(देखिए नियम 37)

1- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ङ) में यथा-परिभाषित अनुसूचित बैंक ।

2- बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट बैंक ।

3- किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन वित्त निगम ।

4- कोई राज्य औद्योगिक विकास निगम ।

5- भारतीय यूनिट ट्रस्ट ।

6- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ।

7- भारतीय राज्य व्यापार निगम ।

8- भारतीय औद्योगिक ऋण एवं विनिधान निगम ।

9- भारतीय जीवन बीमा निगम ।

10- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ।

11. इन्डस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन् ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता ।

12. राज्य औद्योगिक विनिधान निगम, महाराष्ट्र । "

सं० 1/6/71-खान 6

(हर्ष गुप्त)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
नई दिल्ली ।

(ख) उपनियम (2) में द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि जब बन्धकदार अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संस्था या बैंक या निगम हो तब ऐसी किसी संस्था या बैंक या निगम के लिए अनुमोदन प्रमाण-पत्र और आयकर शोधन पत्र धारित करना आवश्यक नहीं होगा ।" ;

(ii) अनुसूची IV के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तः स्थापित की जाएगी ; अर्थात् :-

"अनुसूची V

संस्थाएँ/बैंक/निगम

(देखिए नियम 37)

1- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित अनुसूचित बैंक ।

2- बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट बैंक ।

3- किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधान एवं नियंत्रणाधीन वित्त निगम ।

4- कोई राज्य औद्योगिक विकास निगम ।

5- भारतीय यूनिट ट्रस्ट ।

6- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ।

7- भारतीय राज्य व्यापार निगम ।

8- भारतीय औद्योगिक ऋण एवं विनिधान निगम ।

9- भारतीय जीवन बीमा निगम ।

10- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ।

11. इन्डस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन् औफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता ।

12. राज्य औद्योगिक विनिधान निगम, महाराष्ट्र । "

सं० 1/6/71-स्थान 6

(हर्ष गुप्त)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
नई दिल्ली ।